MACT No. 101/2025

Jageshwar Urf Jugeshwar Vs Branch Manager, Shriram General Insurance Co. Ltd

II-157

C.J.

Witness No. 02 Applicant Evidence

Deposition taken on the 11th day of May 2026

State of affirmation

My name is ..Anmati Rajwade...W/o Shri Kumar Say Aged about 44 Yrs occupation .House Wife. address– Vill–Gangapur,,PS–Jainagar, District–Surajpur C.G.

नोटः साक्षी अन्मती राजवाड़े आवेदक साक्षी क्रं. 02 को शपथ दिलाकर परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

05. मैने अपना मुख्य परीक्षण शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 व्य.प्र.सं. दिनांक 30.03.2026 के तहत पेश किया है जिसमें कंडिका क्रमांक 01 से 04 तक उल्लेखित है।

// प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ए०के० गोयल वास्ते अनावेदक क्र० 01//

06. यह कहना सही है कि आवेदकगण मेरे रिश्तेदार हैं । स्वतः कही कि दूर के रिश्तेदार हैं । आवेदक जुगेश्वर रिश्ते में मेरे जीजा लगते हैं । मैं गंगापुर में रहती हूॅ । चुनगुड़ी से ग्राम गंगापुर की दूरी लगभग 18 कि०मी० है । दुर्घटना दिनांक को जुगेश्वर के घर में कोई कार्यक्रम था जिसमें मैं आई हुई थी । कार्यक्रम छट्ठी का था । यह छट्ठी गणेश के लड़के का था । गणेश रिश्ते में दामाद लगता है ।

07. दीपक का कोई भाई नही है उसकी एक बहन थी जिसका विवाह हो गया है और वह अपने ससुराल में रहती है । वादी जुगेश्वर के पास खेती बाड़ी है किन्तु ज्यादा खेती बाड़ी नही है । वादी जुगेश्वर खेती बाड़ी करते हैं । मृतक दीपक राजवाड़े का विवाह नही हुआ था । दीपक अपने पिता के साथ ही रहता था । यह कहना सही है कि मैं दुर्घटना स्थल पर नही थी । यह कहना सही है कि मैं दुर्घटना होते नही देखी हूॅ । दुर्घटना स्थल पर काफी लोग इकट्ठे थे । जानकारी मिलने पर मैं भी गई थी । दुर्घटना के बारे में मुझे किसने जानकारी दी थी उसका नाम मुझे नही मालूम है किन्तु मुझे जो बताया गया था मैने वैसा ही बयान दिया है ।

08. यह कहना गलत है कि मुझे दुर्घटना के बारे में जानकारी नही है । यह कहना गलत है कि मुझे दुर्घटना के बारे में किसी ने नही बताया है । यह कहना गलत है कि आवेदकगण को उनके गांव का कोई भी व्यक्ति झूठ बोलने के लिये गवाही नही दे रहा था इसलिये मैं दूसरे गांव की आवेदकगण की रिश्तेदार हूॅ और आवेदकगण के सिखाने से झूठी गवाही दे रही हूॅ ।

09. राधा इंजिनियरिंग ट्रांस्पोर्ट कंपनी चेन्नई में काम करती है और वहीं की कंपनी है । इस कंपनी में कितने ड्रायवर होंगे मुझे नही मालूम है । यह कहना गलत है कि मृतक दीपक के पास मोटरसायकल चलाने का लाईसेंस नही था । यह कहना गलत है कि दुर्घटना के संबंध में पुलिस ने मेरे से

कभी पूछताछ नही की है । साक्षी स्वतः कही कि पुलिस वाले पूछताछ किये थे । यह कहना सही है कि दुर्घटना होने के तत्काल बाद पुलिस वाले मुझसे कोई पूछताछ नही किये थे । साक्षी स्वतः कही कि दुर्घटना होने के एक डेड़ महिने के बाद पूछताछ किये थे । जब पुलिस ने पूछताछ किया था उस समय मैं गंगापुर में थी और पुलिस ने सूचना देकर मुझे बुलाया तब मैं भटगांव थाना गई थी । यह कहना सही है कि मैं जब भटगांव थाना गई थी उस समय वाहन चालक राधेश्याम और वाहन स्वामी सफीक भी थाने में बैठे हुए थे ।

10. यह कहना सही है कि दीपक के माता पिता भी उस समय थाना में थे । इसके अतिरिक्त थाना में कौन कौन थे मुझे नही मालूम है । मैं कमलेश, बिंदेश्वर को नही जानती हूॅ सीता राम को जानती हूॅ। दुर्घटना ग्राम चुनगुड़ी में हुई थी । मुझे नही मालूम कि थाने में तेलगंवा का सीताराम था या नही । मैं सीताराम को जानती हूॅ । यह कहना सही है कि मैने थाना भटगांव में जाने से पहले किसी यह नही बताया था कि सफीक राधेश्याम की गाड़ी से दुर्घटना हुई है । मेरे गांव के लोग कालरी में काम करते हैं । उन्हे कितना वेतन मिलता है मुझे नही मालूम है । यह कहना सही है कि मेरे गांव में अनेक ट्रैक्टर है । यह कहना सही है कि उनमें ड्रायवर काम करते हैं । इन ड्रायवरों को कितना वेतन मिलता है मुझे नही मालूम है।

11. दीपक जहां काम कारता था, मैं दीपक के जीवनकाल में वहां कभी नही गई थी । दीपक को वेतन प्रतिमाह बैंक से उसे खाते में जमा हो जाने से बैंक से प्राप्त होता था । दीपक का बैंक खाता किस बैंक में था उसका पेमेंट किस बैंक के खाते में जमा होता था मुझे नही मालूम । यह कहना गलत है कि दीपक वाहन चालक नही था । यह कहना गलत है कि दीपक चेन्नई राधा इंजिनियरिंग कंपनी में चालक का काम नही करता था । यह कहना गलत है कि मैं आवेदकगण को बीमा कंपनी से ज्यादा क्षतिपूर्ति राशि दिलाने हेतु झूठा बयान दी हूॅ ।

12. मुझे नही मालूम कि दुर्घटना स्थल पर दुर्घटना दिनांक को पुलिस वाले आये थे या नही । मृतक को अस्पताल कौन ले गया था मुझे नही मालूम है संभवतः सीताराम लोग लेकर गये थे । यह कहना गलत है कि मैं आवेदकगण की रिश्तेदार हूॅ इसलिये उनके सिखाने से झूठा बयान दे रही हूॅ ।

// प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अशोक कुमार यादव वास्ते अनावेदक क्र० 02 व 03//

13. यह कहना सही है कि मैं घटना होते नही देखी हूॅ । यह कहना सही है कि किसकी लापरवाही से घटना हुई है मैं नही बता सकती हूॅ । यह कहना गलत है कि गाड़ी कौन चला रहा था उसे मैं नही जानती हूॅ । स्वतः कहा कि मृतक दीपक अपने वाहन से धीरे धीरे जा रहा था, तभी पीछे तरफ से सफीक और राधेश्याम बहुत तेजी से अपने वाहन को चलाते हुए मृतक के वाहन में पीछे से ठोकर मार दिये । यह कहना सही है कि मैं दुर्घटना कारित वाहन का नंबर नही बता सकती । यह कहना गलत है कि मैं दुर्घटना की रिपोर्ट थाने में नही लिखाई थी ।

C.J.

14. यह कहना गलत है कि मृतक चेन्नई में इंजिनियरिंग प्राईवेट कंपनी में वाहन चलाने का काम नही करता था । यह कहना गलत है कि उसको नौकरी के दौरान 37,000/– प्रतिमाह वेतन नही मिलता था । साक्षी स्वतः कही कि हम लोग चेन्नई इंजिनियरिंग प्राईवेट कंपनी में उसके वेतन से संबंधित पेमेंट स्लिप लेने गये थे इसलिये मैं जानती हूॅ । यह कहना गलत है कि कृषि से प्रतिमाह आय अर्जित नही करता था । यह कहना गलत है कि मृतक दीपक की लापरवाही से ही घटना हुई है ।

साक्षी को बयान पढकर सुनाया गया। मेरे निर्देशन मे टंकित किया गया।

सही होना स्वीकार किया गया।

DIAMOND KUMAR GILHARE
Digitally signed by DIAMOND KUMAR GILHARE

(डायमंड कुमार गिलहरे)
अतिरिक्त मो०दु०दा०अधिकरण
सूरजपुर, जिला- सूरजपुर (छ०ग०)

DIAMOND KUMAR GILHARE
Digitally signed by DIAMOND KUMAR GILHARE

(डायमंड कुमार गिलहरे)
अतिरिक्त मो०दु०दा०अधिकरण
सूरजपुर, जिला- सूरजपुर (छ०ग०)

साक्षी के हस्ताक्षर.....